कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,
Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 – 243222

क्रमांक/7682/स्था./एम.सी./2021 शहडोल, दिनांक 30/11/2021

नोटिस

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के निम्नलिखित रिक्त पदों पर **वॉक इन इन्टरव्यू** के माध्यम से सीमित पदावधि (Tenure) हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

सीनियर रेसीडेंन्ट

सीनियर रेसीडेंन्ट, (निश्चित वेतनमान रू. 76,000/– प्रतिमाह)

S.No.	Subject	UR	EWS	ST	SC	OBC
1	General Medicine	2	-	1	1	1F
2	Pediatrics	1F	-	-	-	-
3	Tuberculosis & Respiratory Diseases	1	-	-	-	1
4	Dermatology	-	-	-	-	1
5	General Surgery	-	-	1	1	1
6	Orthopedics	-	-	-	-	1
7	Ophthalmology	1	-	-	-	-
8	Obstetrics & Gynecology	1	-	-	1	-
9	Anesthesiology	-	-	1	1	1
10	Radio-Diagnosis	1	-	-	-	1
	Total Post	07	00	03	04	07

जूनियर रेसीडेंन्ट

जूनियर रेसीडेंन्ट, (निश्चित वेतनमान रू. 53,000/– प्रतिमाह)

S.No.	Subject	UR	EWS	ST	SC	OBC
1	General Medicine	1	1	-	-	-
2	Pediatrics	-	1	1	1	2
3	Tuberculosis & Respiratory Diseases	-	-	-	-	1
4	Dermatology	1	-	-	-	1
5	Psychiatry	1	-	-	-	-
6	General Surgery	-	1	2+1F	1F	2+1F
7	Orthopedics	1+1F	1	2	2	1
8	Oto-Rhino-Laryngologist	1	-	-	1	-
9	Ophthalmology	-	-	1	1	1
10	Obstetrics & Gynecology	1+1F	1	2+1F	2	2+1F
11	Anesthesiology	1+1F	-	1	-	1
	Total Post	10	05	11	08	13

<u>सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट पद हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू नोटिस जारी होने के उपरांत माह के प्रत्येक सोमवार (कार्य दिवस) तक कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का साक्षात्कार प्रति बुधवार को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल, (म.प्र.) पिन– 484001 में प्रातः 11:00 बजे से सम्पन्न किया जावेगा।</u>

Scanned with CamScanner

वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उम्मीदवार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश कमांक एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.10 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर/स्नातक छात्र जिनका चयन क्रमशः सीनियर रेसीडेन्ट /जूनियर रेसीडेंन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बंधपत्र से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि सेवा छोड़ने की स्थिति में ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बंधपत्र की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोट :-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 6 प्रतिशत पद विकलांगों हेतु आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी संवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरी जावेंगी।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के कम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेंगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।
6. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वाक-इन-इन्टरव्यू जारी रहेगा। अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय के स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।

शर्तें :-

1. **अवधि :** सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर विभागाध्यक्ष से प्राप्त वर्क रिपोर्ट के आधार पर सेवायें 01-01 वर्ष समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। 03 वर्ष सेवायें पूर्ण होने के उपरांत नियुक्ति स्वयं समाप्त हो जावेगी।
2. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।
3. **नियुक्ति का तरीका :** योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
4. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तो के अधीन होगी। नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में 1 माह का अग्रिम वेतन देकर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

Scanned with CamScanner

6. पेंशन एवं तत्संबंधित कोई लाभ देय नहीं होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 7 दिवस के अन्दर चरित्र सत्यापन अपने निवास क्षेत्र के कोतवाली/थाना से कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पाए जाने पर सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

8. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इस 1 वर्ष की अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जाएगा।

9. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यवसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी. एवं पी. जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ./सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित न होने का **शपथ पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. कार्यभार ग्रहण करते समय म.प्र. चिकित्सकीय परिषद भोपाल से प्राप्त नामांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. **शैक्षणिक योग्यता सीनियर रेसीडेन्ट :** सीनियर रेसीडेन्ट की मूल अर्हता साक्षात्कार के समय एन.एम.सी. के वर्तमान/अद्यतन (Latest) मापदंण्डानुसार रहेगी। जिन चिकित्सकों नें नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पॉच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगें। सीनियर रेसीडेन्ट पद पर पदस्थ किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस करने की पात्रता नहीं होगी।

    जिन चिकित्सकों ने म.प्र. के किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी. /एम.एस परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

12. **शैक्षणिक योग्यता जूनियर रेसीडेन्ट :-**

    (क) एम0बी0बी0एस0 पास कर इंटरर्नशिप पूर्ण कर ली हो।

    (ख) उक्त चिकित्सकों की इंटरर्नशिप विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो, इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होगें।

13. सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के पद पर नियुक्ति अभ्यार्थियों को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

14. **यात्रा भत्ता :-** साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अन्य शर्तें :-

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेंन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत् है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की पूर्वानुमती के बिना नौकरी प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
8. उम्मीदवार को म.प्र. मेडिकल काउंसिल भोपाल से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता द्वारा सीनियर/जूनियर रेसीडेन्ट की ड्युटी कार्य आवश्यकता अनुसार किसी भी विभागों में समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।
साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner